भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-896

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमताएं

896. श्री तीरथ सिंह रावत:
श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री राजेश वर्मा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि अथवा विस्तार हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति क्षमता में वृद्धि करने के लिए कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त पहल से विशेषकर किन-किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं के नाम, स्थान, क्षमता वृद्धि और उनके पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र सहित देश में विद्युत उत्पादन क्षमता/सक्षमताओं को बढ़ाने या विस्तारित करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं, जिनके ब्यौरे नीचे सूचीबद्ध हैं:

- ✓ मार्च, 2019 के दौरान, सरकार ने जल विद्युत को बढ़ावा देने संबंधी उपायों को मंजूरी दी, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:
  - बृहत जल विद्युत (एलएचपी) (**>** 25 मेगावाट परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।
  - जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ)
  - जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।
  - बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
  - सक्षम अवसंरचना, अर्थात् सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता। सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2021 को बाढ़ नियंत्रण घटक हेतु बजटीय सहायता के लिए दिशानिर्देशों के साथ-साथ अवसंरचना सक्षमीकरण लागत भी अधिसूचित की गई है।

- ✓ नई जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत के पारेषण पर अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों की छूट लागू होगी, जिनके लिए निर्माण कार्य सौंपा गया है और विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर दिनांक 30.06.2025 को या उससे पहले हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद, दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 01.07.2028 तक 25% के चरणों में, एचईपीज़ के लिए आईएसटीएस प्रभारों की आंशिक छूट बढ़ा दी गई है जिनके लिए निर्माण कार्य सौंपा गया है और दिनांक 30.06.2028 तक के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) : वर्ष 2014-15 से, सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2,412 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली नौ (9) जलविद्युत परियोजनाएं शुरु की गई हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का वर्ष
1	जोरेथांग लूप	सिक्किम	96	2015
2	तीस्ता-III	सिक्किम	1200	2017
3	तुरियल	मिजोरम	60	2017
4	नया उम्त्रु	मेघालय	40	2017
5	दिक्छु	सिक्किम	96	2017
6	ताशिदिंग	सिक्किम	97	2017
7	पारे	अरुणाचल प्रदेश	110	2018
8	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	600	2021
9	रोंगनिचु	सिक्किम	113	2021

(घ) : वर्तमान में, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 6,037 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली (8) जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे **अनुबंध-I** पर संलग्न हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के अनुसार, जलविद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित करने की इच्छुक कोई भी उत्पादन कंपनी, इसकी सहमति के लिए प्राधिकरण को ऐसी स्कीम तैयार और प्रस्तुत करेगी, जिसमें राशि से अधिक पूंजीगत व्यय शामिल होने का अनुमान है जिसे केंद्र सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा तय किया जा सकता है (वर्तमान में, 1,000 करोड़ रूपये)।

तदनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 17 जलविद्युत स्कीमों (14,589 मेगावाट) को सहमति प्रदान की। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	समापन का अनुमानित वर्ष
1.	तीस्ता चरण-IV	सिक्किम	520	2031-32
2.	तवांग चरण-I	अरूणाचल प्रदेश	600	2031-32 से आगे
3.	वाह-उमियाम चरण-III	मेघालय	85	2029-30
4.	तवांग चरण-II	अरूणाचल प्रदेश	800	2031-32 से आगे
5.	हियो	अरूणाचल प्रदेश	240	2028-29
6.	तातो-I	अरूणाचल प्रदेश	186	2028-29
7.	तातो-II	अरूणाचल प्रदेश	700	2031-32 से आगे
8.	डेमवे लोअर	अरूणाचल प्रदेश	1750	2031-32
9.	कलाई-II	अरूणाचल प्रदेश	1200	2031-32 से आगे
10.	टालोंग लोंडा	अरूणाचल प्रदेश	225	2031-32
11.	एटालिन	अरूणाचल प्रदेश	3,097	2030-31
12.	नाफ़ा	अरूणाचल प्रदेश	120	2027-28
13.	हिरोंग	अरूणाचल प्रदेश	500	2031-32 से आगे
14.	नयिंग	अरूणाचल प्रदेश	1,000	2031-32 से आगे
15.	अटुनलि	अरूणाचल प्रदेश	680	2030-31
16.	लोअर सियांग	अरूणाचल प्रदेश	2,700	2031-32 से आगे
17.	दिखू	नागालैंड	186	2030-31

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 896 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

कार्यान्वयन के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

क्रम सं.	परियोंजना का नाम	क्षेत्र	निष्पादन सीमा (मेगावाट)	समापन का अनुमानित वर्ष
अरूणाचल प्रदेश				
1	सुबनसिरी लोअर	केंद्रीय	2,000	2023-26 (मई, 25)##
2	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना	केंद्रीय	2,880	2031-32 (फरवरी, 32)
असम				
3	लोअर कोपीली	राज्य	120	2024-25 (मार्च, 25)
सिक्किम				
4	तीस्ता चरण-VI	केंद्रीय	500	2026-27 (अगस्त, 26)
5	रंगित-IV	केंद्रीय	120	2024-25 (अगस्त, 24)
6*	भास्मे	निजी	51	*
7*	रंगित-II	निजी	66	*
8*	पनन	निजी	300	*

##: 2 यूनिटें (500 मेगावाट) वर्ष 2023-24 के दौरान, 4 यूनिटें (1,000 मेगावाट) वर्ष 2024-25 के दौरान और शेष 2 यूनिटें (500 मेगावाट) वर्ष 2025-26 के दौरान संभावित हैं।

****परियोजना वर्तमान में रूकी हुई है।***

****